उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक ....**ए / 4537**........... /   जबलपुर, दिनाँक **23** नवम्बर, 2022
(तीन–18–1 / 2022)

श्री बालमुकुन्द सोनी, उपप्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को सातवें वेतनमान के अंतर्गत लेवल–12 के वेतनमान रुपये 56,100–1,77,500 में अस्थाई रूप से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत करते हुये, उन्हें न्यायिक जिला स्थापना, **सिंगरौली** में पदस्थ किया जाता है।

श्री बालमुकुन्द सोनी की पदोन्नति दिनाँक 05.9.2020 से प्रभावशील होगी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी वरिष्ठता प्रशासनिक अधिकारी की वरीयता सूची में श्री दीनबन्धु साकेत, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक जिला स्थापना, सागर के नाम के ऊपर निर्धारित की जाती है।

श्री बालमुकुन्द सोनी को पदोन्नति उपरांत दिनाँक 05.9.2020 से ही समस्त पारिणामिक लाभ, जिसमें वेतन, एरियर्स दिया जाना सम्मिलित है, देय होंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

V. Saxena 23.11.2022

{विवेक सक्सेना}
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

पृ.क्र. ....**ए / 4538**........... /   जबलपुर, दिनाँक **23** नवम्बर, 2022
(तीन–18–1 / 2022)

प्रतिलिपि :–

(1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि श्री बालमुकुन्द सोनी को उक्त आदेश की प्रति प्रदान कर अपनी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर निर्देश देवें कि वे नवीन पदस्थापना पर **दिनाँक 05.12.2022** तक कार्यभार ग्रहण कर सकें। साथ ही, श्री बालमुकुन्द सोनी को कार्यमुक्त किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन रजिस्ट्री को प्रेषित करें।

(2) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन श्री बालमुकुन्द सोनी के कार्यभार ग्रहण करने से संबंधित प्रतिवेदन रजिस्ट्री को प्रेषित करें।

(3) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

V. Saxena 23.11.2022

{विवेक सक्सेना}
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)